9

प्राथमिक शिक्षा हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति के प्रति अभिभावक एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण

भावेश चंद्र दुबे*

ग्राम शिक्षा समिति का गठन गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए किया गया था। वस्तुत: स्थानीय लोगों को समिति में शामिल करने के पीछे की सोच यही थी कि वे ज़्यादा-से-ज़्यादा प्रभावी ढंग से बच्चों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें जैसे पाठ्यपुस्तक सामग्री की उपलब्धता, दोपहर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, शिक्षकों की कक्षा में उपस्थिति आदि। वस्तुत: ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल थे जिसे स्थानीय लोगों को शामिल किए बिना सुचारू रूप से हल नहीं किया जा सकता था। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा हेतु गठित ग्राम शिक्षा समितियों के प्रति अभिभावक एवं शिक्षकों का दृष्टिकोण क्या है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने सामुदायिक भागीदारी के द्वारा विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी संकल्पना को मूर्त रुप देने के लिए 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकृत नियोजन की महता और उपादेयता को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसी दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को उत्तरोत्तर महत्त्व मिल रहा है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विकास की प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग-4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत संविधान की धारा 40 में पंचायत के गठन की व्यवस्था की है। विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में (एक गाँव के लिए शिक्षा समिति) ग्राम शिक्षा समितियाँ गठित की हैं जो विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सुधार में महत्वपूर्ण सहयोग हेतु ग्राम

*18ए/सी, उदित महानगर (पानी की टंकी के पास) बरेली, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा समितियों के गठन का सुझाव दिया एवं यह माना कि ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय में बिना किसी कारण अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर निगरानी रख सकती हैं जिससे गाँववासी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिप्रेरित हो सकते हैं। 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित कार्यनीति में विद्यालय प्रबंधन विषय के अंतर्गत विकेंद्रीकृत नियोजन एवं प्रबंधन पर बल दिया गया एवं उनमें जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गयी।

नई शिक्षा नीति के पैरा 10.08 पर स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानीय लोग विद्यालय सुधार कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप

ग्राम शिक्षा समिति ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था है जो उस गाँव की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं व्यवस्थाओं का आकलन करती है और शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करती है। विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी वैसे तो पूरे गाँव की है, जितना ज्यादा लोग विद्यालय चलाने के काम में जुड़ेंगे, विद्यालय उतना ही अच्छा चलेगा। फिर भी लोगों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रत्येक गाँव या गाँव समूह पर बेसिक शिक्षा संबंधी समस्त कृत्यों के संपादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संशोधित वर्ष 2000 के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है।

→ ग्राम पंचायत का प्रधान – अध्यक्ष

→ प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के तीन संरक्षक सदस्य (जिनमें एक संरक्षक महिला होगी) जो विद्यालय अवर उप निरीक्षक द्वारा नामित किए जायेंगे।

→ उस गाँव या गाँव समूह में बेसिक स्कूल का – सदस्य सचिव मुख्य अध्यापक और यदि एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से वरिष्ठ।

अध्ययन के उद्देश्य

→ विद्यालय प्रबंध एवं विद्यालय विकास योजना में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के प्रति अभिभावक एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

→ विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं (उपकरण, फर्नीचर आदि) की पूर्ति में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

→ बच्चों के शत्-प्रतिशत नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं उपलब्धि स्तर को बढ़ाने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

→ शिक्षकों की नियमितता सुनिश्चित करने में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

→ ग्राम शिक्षा समिति के अन्य क्रियाकलापों के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अध्ययन की सीमाएँ-

→ भौगोलिक दृष्टि से फत्तेहाबाद (हरियाणा) जिले तक सीमित रखा गया है।

→ अध्ययन हेतु 10 ग्राम समितियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।

→ यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में किया गया है। जानकारी महिलाओं एवं पुरूषों दोनों से एकत्र की गयी है।

अध्ययन न्यायदर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 41 पुरुष अभिभावक तथा 33 महिला अभिभावक तथा 44 पुरुष शिक्षक, 18 महिला शिक्षकों को रखा गया है।

अभिभावक – 41 पुरुष + 33 महिला कुल-74

शिक्षक – 44 पुरुष + 18 महिला कुल-62

अध्ययन हेतु अभिभावकों-शिक्षकों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सूची का उपयोग किया गया तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया।

गणनात्मक विधि

दस ग्राम शिक्षा समितियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। इसमें शिक्षक तथा अभिभावकों का ग्राम शिक्षा समिति के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए यह भी देखा गया कि कितने प्रतिशत लोगों ने सहमत पर, कितने प्रतिशत ने असहमत पर तथा कितने प्रतिशत ने अनिश्चित पर अपना मत व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त सहमत तथा असहमत से प्राप्त उनके विचार पर प्रतिशत निकाला गया। शोध समस्या से संबंधित संकलित प्रदत्तों के सारणीयन के पश्चात् उसमें उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों विश्लेषणों का उपयोग किया गया। गुणात्मक विश्लेषण के लिए Content Analysis विधि का उपयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. ग्राम समितियों की बैठक नियमित एवं प्रभावी है कि नहीं, का अध्ययन

इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें कितनी प्रभावी हैं। इसके लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों से जानकारी एकत्र की गयी। साथ ही ग्राम शिक्षा समिति बैठक की कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया। एकत्र जानकारी एवं अवलोकन के आधार पर विश्लेषणात्मक जानकारी निम्नानुसार है–

→ शत-प्रतिशत ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित होती है।

→ 20% ग्राम शिक्षा समितियों में 50% सदस्यों की उपस्थिति 70% ग्राम शिक्षा समितियों में 75% उपस्थिति तथा 10% ग्राम शिक्षा समितियों में 75% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति रहती है।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें एजेंडा के आधार पर आयोजित होती हैं जबकि 25% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक उपरांत कार्यवाही विवरण आयोजित होती है।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार किया जाता है तथा सदस्यों को दायित्व सौंपे जाते हैं। 20% ग्राम शिक्षा समितियों में कार्यवाही विवरण बैठक के बाद प्रधानाध्यापक तैयार करता है जबकि 5% ग्राम शिक्षा समितियों का कार्यवाही विवरण बैठक के उपरांत तैयार कर समिति के सदस्यों के घर जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के शिक्षक सुनिश्चित करते हैं।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों का स्वरूप शिक्षा के विकास से संबंधित होता है जबकि 25% ग्राम शिक्षा समिति की बैठक का स्वरूप मिश्रित (शिक्षा विकास तथा अन्य सामाजिक अभियान जैसे–पल्स पोलियो आदि) होता है।

→ 80% शिक्षक एवं अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली से संतुष्ट पाए गए जबकि 20% शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया।

→ अभिभावक के अनुसार 75% ग्राम समिति के सदस्य उनके गाँव के भ्रमण के दौरान मिलते हैं जबकि 25% नहीं मिलते हैं।

→ शिक्षकों एवं अभिभावकों के अनुसार 50% ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालयी गतिविधियों में सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है जबकि 50% ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का उदासीन दृष्टिकोण होता है।

शिक्षकों, अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समितियों के बैठक रजिस्टर के विश्लेषणोपरांत यह पाया गया कि अधिकतर ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक नियमित तथा प्रभावी होती है जिससे विद्यालय में बच्चों की दर्ज संख्या काफ़ बढ़ी है।

ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

इस परिकल्पना में अध्यापकों शिक्षकों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा समितियाँ विद्यालय को शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आवश्यक सहयोग करती है या नहीं। इसके लिए अभिभावकों एवं शिक्षकों हेतु 40 प्रश्नों की प्रश्नावली का निर्माण किया गया। जिसका जवाब सहमत, असहमत एवं अनिश्चित में लिया गया, प्रश्नावली के सभी कथन धनात्मक रूप से पूछे गए थे। अभिभावकों एवं शिक्षकों से प्राप्त उत्तरों को हम निम्न तालिका की सहायता से देख सकते हैं–

क्रम सं.		शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रतिशत में			शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रतिशत में		
		सहमत (हाँ)	असहमत (नहीं)	कुछ नहीं कह सकते	सहमत (हाँ)	असहमत (नहीं)	कुछ नहीं कह सकते
1.	ग्राम शिक्षा समिति में जो सदस्य हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं?	82	10	8	75	10	15
2.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठकें नियमित होती हैं।	50	40	10	45	35	20
3.	बैठकों में लिये गए निर्णयों से विद्यालय में सुधार हुआ है।	60	35	05	43	33	24
4.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य आपसे मिलने आते हैं।	72	24	4	35	55	10
5.	आप ग्राम शिक्षा समिति में शिक्षा संबंधी कार्यों से संतुष्ट हैं।	68	17	15	54	32	14
6.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य समय-समय पर विद्यालय का भ्रमण करते हैं।	63	21	16	58	22	10
7.	ग्राम शिक्षा समिति में कभी आपको बुलाया जाता है।	56	42	2	64	35	01
8.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अभिभावकों को भी दायित्व उनकी सहमति से सौंपते हैं।	45	36	19	38	56	06
9.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों के संबंध अच्छे हैं।	90	10	0	70	20	10
10.	जो बच्चे विद्यालय में दर्ज नहीं हैं उनको विद्यालय लाने में ग्राम शिक्षा समिति के लोग प्रयास करते हैं।	50	40	10	35	55	10
11.	बच्चों को मध्याह्न भोजन एवं छात्रवृत्ति समय से मिले, इसकी देखरेख ग्राम शिक्षा समिति के लोग करते हैं।	80	15	05	40	50	10
12.	विद्यालय की स्वच्छता में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	51	48	1	50	50	00
13.	विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।	40	51	9	50	32	18
14.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन से गाँव की शिक्षा में सुधार हुआ है।	58	28	14	50	35	15
15.	ग्राम शिक्षा समिति के गठन के फलस्वरूप शिक्षक नियमित विद्यालय आते हैं।	54	36	10	60	32	08
16.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों की संख्या बढ़ी है।	70	15	15	55	35	10

17.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई है।	69	18	13	58	32	10
18.	विद्यालय के भवन/अतिरिक्त कक्ष/भवन मरम्मत में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	32	58	10	40	38	22
19.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में विद्यालय के बदलाव के बारे में चर्चा हेतु अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है।	60	30	10	50	26	24
20.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अभिभावकों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं।	80	18	02	72	14	14
21.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य अभिभावकों को भी बोलने का अवसर देते हैं।	75	20	05	70	13	17
22.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय मिलजुलकर किए जाते हैं।	50	40	10	40	50	10
23.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालय के विकास के बारे में निर्णय लेते हैं।	70	10	20	50	15	35
24.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ बढ़ी हैं।	50	50	10	50	40	10
25.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हुई है तथा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है।	70	20	10	60	32	08
26.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएँ बढ़ी हैं।	60	30	10	53	37	10
27.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से लड़कियों की शिक्षा के लिए वातावरण का निर्माण हुआ है।	52	22	26	53	28	19
28.	ग्राम शिक्षा समिति के प्रयास से बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है।	60	30	10	50	18	32
29.	ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।	78	4	18	73	12	15
30.	ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय पर समिति के सदस्य कार्यवाही करते हैं।	90	00	10	32	09	09
31.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य विद्यालय के वार्षिक कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।	78	13	09	85	07	08
32.	ग्राम शिक्षा समिति के लोग विद्यालय की समस्याओं को पंचायत की बैठक में रखते हैं।	70	20	10	60	12	28
33.	बाल गणना के दौरान ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहयोग प्रदान करते हैं।	72	15	13	81	12	07

34.	विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुन: प्रवेश दिलाने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहयोग प्रदान करते हैं।	60	14	26	75	13	12
35.	कामकाजी बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य समुदाय पर दबाव बनाते हैं।	70	08	22	60	15	25
36.	विद्यालय के परिवेश को हरा-भरा बनाने में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	65	20	15	75	14	11
37.	विद्यालय के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	60	20	20	71	16	13
38.	विद्यालय के शिक्षण कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	70	10	10	67	17	14
39.	विशिष्ट प्रकार के बच्चों को विद्यालय लाने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहयोग करते हैं।	70	20	10	72	09	19
40.	पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के लोग सहयोग करते हैं।	85	10	05	75	17	08
	प्रतिशत माध्य	**64.62**	**24.20**	**11.17**	**58.65**	**27.07**	**14.47**

शिक्षकों का दृष्टिकोण

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से 65% शिक्षकों को ग्राम शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सहमत पाया गया जबकि 24% शिक्षकों द्वारा असहमतता व्यक्ति की गई तथा 24% शिक्षक उनके प्रति अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थ पाए गए। प्रश्नवार विश्लेषण के आधार पर सहमति में प्राप्त उत्तरों की आवृत्ति 50 से 85% के मध्य थी जबकि असहमति 0 से 15% के मध्य थी। विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका का कथनानुसार विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। इनमें सभी के प्रयासों को बढ़ाए जाने का प्रयास आवश्यक है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी क्रियाकलाप में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका उच्च स्तर की है तथा किसी-किसी में सामान्य स्तर की। लेकिन दिन-प्रतिदिन लोग ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार एवं कार्यों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। अत: हम कह सकते हैं शिक्षकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय को भरपूर सहयोग कर रही हैं।

अभिभावक के अनुसार

प्रतिशत माध्य में 59% अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति कार्य प्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से सहमत पाए गए। इनमें से 27% असहमत तथा 14% से कुछ कह नहीं सकते में उत्तर दिया अर्थात अभिभावकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका विद्यालय

की कार्यप्रणाली, विकास तथा साजो-सामान की उपलब्धता के प्रति सामान्य आधार की पायी गयी। बच्चे के नियमित आने, स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाने के प्रयास के प्रति ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका भी सामान्य आधार की पायी पायी। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिभावकों के अनुसार ग्राम शिक्षा समितियाँ शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में पर्याप्त सहयोग करती हैं। बैठकों में विस्तार से चर्चा करती हैं तथा कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही सुनिश्चित करने में स्वयं ही जिम्मेदारी तय करती है। शिक्षकों एवं अभिभावकों का ग्राम शिक्षा समिति के प्रति प्राप्त दृष्टिकोण का प्रतिशत माध्य का अवलोकन करने पर 65% शिक्षक 59% अभिभावक ग्राम शिक्षा समिति के कार्य के प्रति सहमत पाए गए।

निष्कर्ष

→ शत्-प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित होती हैं जिनमें से 20% ग्राम शिक्षा समितियों में 50% सदस्यों की उपस्थिति 70% ग्राम शिक्षा समितियों में 75% की उपस्थिति तथा 10% ग्राम शिक्षा समितियों में 75% सदस्यों की उपस्थिति रहती है।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें एजेंडा के आधार पर आयोजित होती हैं जबकि 25% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें बिना एजेंडा के आयोजित होती हैं।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों में बैठक उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार किया जाता है तथा सदस्यों को दायित्व सौंपे जाते है।। 20% ग्राम शिक्षा समितियों में कार्यवाही विवरण बैठक के बाद प्रधानाध्यापक तैयार करता है जबकि 5% ग्राम शिक्षा समिति की कार्यवाही का विवरण बैठक के उपरांत तैयार कर समिति के सदस्यों के घर जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अलावा विद्यालय के शिक्षक सुनिश्चित करते हैं।

→ 75% ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकों का स्वरुप शिक्षा के विकास से संबंधित होता है जबकि 25% ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का स्वरुप निश्चित (शिक्षा विकास तथा अन्य सामाजिक अभियान, सफाई, निर्माण आदि) होता है।

→ ज्यादातर अभिभावक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य उनके गाँव के भ्रमण के दौरान मिलते हैं। ज्यादातर शिक्षकों एवं अभिभावकों का मानना है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का विद्यालीय गतिविधियों में सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है।

→ अधिकतर शिक्षक शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली एवं विद्यालय के प्रति उनके सहयोग से संतुष्ट थे। उनका मानना था कि ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है तथा विद्यालय छोड़ने

की प्रवृत्ति कम हुई है। ज्यादातर शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि बच्चों की नियमितता तथा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है।

→ शिक्षकों एवं अध्यापकों के अनुसार बच्चों का नामांकन, ठहराव एवं समप्राप्ति स्तर में वृद्धि हुई है तथा विद्यालय का शैक्षिक वातावरण आकर्षक हुआ है। ग्राम शिक्षा समितियाँ विद्यालय के शैक्षिक विकास में हर प्रकार का सहयोग कर रही हैं। विद्यालय का उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का सही उपयोग ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में सुनिश्चित किया जाता है।

→ ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में प्राथमिकता का आधार क्रमानुसार सभी बच्चों को विद्यालय में दर्ज कराने की, बच्चों की नियमितता को बढ़ाना, बच्चों का ड्राप आउट काम करके संप्राप्ति स्तर को बढ़ाना। समुदाय को विद्यालय के करीब लाने का प्रयास बहुत ही कम किया जाता है इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के भौतिक संसाधन से लेकर विद्यालय के सौंदर्यीकरण आदि में भरपूर सहयोग करती है।

→ ग्राम शिक्षा समिति कि सदस्यों से साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न घटकों के अंतर्गत गुणात्मक जानकारी प्राप्त की गई जिससे विषय वस्तु विश्लेषण के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सफल संचालन हेतु निम्नांकित सुझाव दिए जाते हैं–

1. बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए बैठकों में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए तथा सभी सदस्यों को दायित्व सौंपकर उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए समिति के सदस्यों को समुदाय से संपर्क बनाए रखा जाना चाहिए।
2. बच्चों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए लगातार समुदाय से संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए ताकि बच्चे विद्यालय में नियमित बने रहें तथा उनका ड्राप आउट न हो।
3. विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय के शिक्षक, समुदाय के सदस्य तथा ग्राम शिक्षा समिति की सहमति से विद्यालय को उपलब्ध कराई गयी धनराशि को खर्च किया जाना चाहिए।
4. ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में बच्चों के नामांकन, विद्यालय को साफ-सुथरा बनाए जाने हेतु समय-समय पर चर्चा करते रहना चाहिए।
5. विद्यालय के शिक्षकों की नियमितता बच्चों की उपस्थिति इत्यादि से संबंधित समस्याओं को आपस में मिल-जुलकर दूर किया जाना चाहिए।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान परिप्रेक्ष्य (2004)– अरविंद मार्ग, नई दिल्ली।

राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहयोग संवर्द्धन (2003) उ.प्र., इलाहाबाद।

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, संवर्द्धन (2000) उ.प्र., इलाहाबाद।

रायजदा, बी.एस. (1996) *शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तथ्य,* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान।

शर्मा, आर.ए. (1993) *शोध प्रबंध लेखन,* इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

सुखिया एस.पी. (1979) *शैक्षिक अनुसंधान के मूलतत्त्व,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।